

**न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) टिब्बी, जिला हनुमानगढ़**

**पीठासीन अधिकारी :- श्री सत्यनारायण आर.ए.एस.**

मि०न० - 403/2025

अनवान : -

- 1 रफीक मोहम्मद पुत्र रमजान मोहम्मद जाति मुसलमान निवासीयान गुड़िया त० टिब्बी जिला हनुमानगढ़ ।
- 2 अहमद नवाज पुत्र मन्शा मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी गुड़िया त० टिब्बी जिला हनुमानगढ़ ।

बनाम

- 1 सन्नाउल्ला पुत्र स्वाले मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी गुड़िया त० टिब्बी जिला हनुमानगढ़ ।
- 2 कुरेशा बी पत्नी सतार मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी गुड़िया त० टिब्बी जिला हनुमानगढ़ ।
- 3 जोहरां बी पुत्री रमजान मोहम्मद पत्नी सन्नाउल्ला जाति मुसलमान निवासी गुड़िया त० टिब्बी जिला हनुमानगढ़ ।
- 4 बैदुल्ला पुत्र रमजान मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी गुड़िया त० टिब्बी जिला हनुमानगढ़ ।
- 5 मोहम्मद इस्मान पुत्र सतार मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी गुड़िया त० टिब्बी जिला हनुमानगढ़ ।
- 6 मोबिन मोहम्मद पुत्र मोहम्मद जिकारिया जाति मुसलमान निवासी गुड़िया त० टिब्बी जिला हनुमानगढ़ ।
- 7 लतीफ मोहम्मद पुत्र रमजान मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी गुड़िया त० टिब्बी जिला हनुमानगढ़ ।
- 8 तहसीलदार राजस्व टिब्बी ।

प्रतिवादीगण


आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी टिब्बी के समक्ष अधिवक्ता वादी श्योकत अली व परमजीत सिंह अधिवक्ता प्रतिवादी की उपस्थिति में प्रस्तुत होने पर वाद वादी डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है एवं वादी व प्रतिवादीगण के निम्नानुसार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है-

वादीगण क. वादी सं० 1 रफीक मोहम्मद को प्राप्त आराजी :- चकनं० 1 एम. के. एस बी जमाबन्दी संवत 2075 ता 78 के प०न० 209/219 मु० 32 किलानं० 1/1/.139 है० मे से 0.0429 है० पूर्व दिशा में उतर से दक्षिण

ख. प्रतिवादी सं० 2 अहमद अली को प्राप्त आराजी :- चक नं० 1 एम. के. एस बी जमाबन्दी संवत 2075 ता 78 के प०न० 209/219 मु० 32 किलानं० 3/1/.063 है० तथा किलानं० 2/.215 है० मे 0.0228 है० कृषि भूमि पूर्व दिशा में उतर से दक्षिण व इसी अनुसार चकनं० 1 एम. के. एस. बी. के खाता सं० 29/30 में से वादी सं० 1 व प्रतिवादीगण सं० 2 ता 7 व चिरागो बी का हिस्सा कम तथा चक नं० 1 एम. के. एस. बी के खाता सं० 114 / 107 मे से प्रतिवादी सं० 1 का हिस्सा कम किया जावें। यदि कृषि भूमि पर बैंक रहन व किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तो राजस्व रिकोर्ड में अंकन कर रिकोर्ड दुरुस्त किया जावें। खर्चा उभयपक्ष अपना-अपना वहन करें।

आज यह पर्चा डिक्री दिनांक 23/2/25.....मेरे हस्ताक्षर एवं मुद्रा से जारी की गई।



  
(सत्यनारायण सिंह)  
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)  
टिब्बी जिला हनुमानगढ़  
R.A.S.